



एच.टी.डी./STD 05278
V.C. 246223, 246330 (O)
V.C. 246224, 245209 (R)
फैक्स/Fax V.C.246330(O), 245209(R)
Registrar-245957(O), 246042(R)
Examination of Controller: 245910 (O)
F.O.-246386(O)

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद(उ०प्र०) DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD(U.P.)

पत्रांक/Ref: लो०अ०वि०/गोपनीय/8069/2018

दिनांक/Date: 16.08.2018

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

विषय:- वर्ष-2018 बी०एड० द्वितीय वर्ष, बी०पी०एड० द्वितीय वर्ष, एम०पी०एड० द्वितीय वर्ष, एम०एड० प्रथम वर्ष की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा के सम्पादनार्थ आन्तरिक परीक्षकों का नाम प्रस्तावित करने के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

कुलपति महोदय के निर्देशानुसार वर्ष-2018 बी०एड० द्वितीय वर्ष, बी०पी०एड० द्वितीय वर्ष, एम०पी०एड० द्वितीय वर्ष, एम०एड० प्रथम वर्ष की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षायें विलम्बतम् माह सितम्बर प्रथम सप्ताह, 2018 तक प्रत्येक दशा में सम्पन्न कराने का निश्चय किया गया है। तत्कम में आपसे अनुरोध है कि महाविद्यालय में संचालित उक्त सम्बन्धित प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा के सम्पादनार्थ विषयानुसार छात्र संख्या का उल्लेख करते हुए आन्तरिक परीक्षकों की सूची (प्रस्तावित नाम) विशिष्टीकरण एवं वृष्टता कम में चक्रानुक्रम के आधार पर विलम्बतम् एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें, जिसके आधार पर प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा के सम्पादनार्थ परीक्षकों (आन्तरिक/बाह्य) की सूची आपको यथासमय उपलब्ध करायी जा सके। आन्तरिक परीक्षकों की प्रस्तावित सूची (नाम) भेजते समय निश्चित रूप से यह भी ध्यान रखा जाए कि जो प्राध्यापक नियमित/अनुमोदित हों तथा तीन वर्ष का अनुभव सम्बन्धित विषय में रखते हुए अद्यतन कार्यरत हों, उन्हीं की सूची (नाम) प्रस्तावित किया जाय। अनुमोदित प्राध्यापकों, जिनका नाम सूची में अंकित किया गया हो, उनका प्रमाणित अनुमोदन पत्र, पैन नम्बर एवं वर्तमान न्यूनतम 06 माह का वेतन भुगतान बैंक स्टेटमेन्ट तथा आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न किया जाय। अनुमोदन पत्र, बैंकिंग वेतन-विवरण, पैन नम्बर एवं आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न न होने की स्थिति में सम्बन्धित प्राध्यापक को परीक्षक नियुक्त किया जाना सम्भव नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय अपने रतार से आन्तरिक परीक्षक नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

कुलपति महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होने के दिन ही आन लाइन/विशेष वाहक के माध्यम से प्रतिपण अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। किसी भी स्थिति में दूसरे दिन प्रतिपण स्वीकार्य नहीं होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मात्र आपकी होगी।

भवदीय,

परीक्षा नियंत्रक

- प्रतिलिपि: 1. उप कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा को तत्कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल, विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

परीक्षा नियंत्रक